स्पेशल टास्क फोर्स, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

प्रेस नोट संख्याः 98, दिनांक 01–04–2024

हत्या की घटना में वांछित रू० 25,000/- का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार।

दिनांक 01–04–2024 को एसटीएफ उत्तर प्रदेश को थाना लीलापुर जनपद प्रतापगढ़ पर पंजीकृत हत्या के अभियोग में वांछित 25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त फिरोज को अवैध तमंचा व कारतूस के साथ गिरफ्तार करने में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त हुई।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरणः

फिरोज पुत्र मो0 रफीक निवासी ग्राम गाबी महुआवन थाना लीलापुर जनपद प्रतापगढ़।

बरामदगीः

1. 01 अदद तमंचा 315 बोर।
2. 02 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर।
3. 01 अदद समसैंग मोबाइल।
4. 700 रूपये नकद।

गिरफ्तारी का स्थान, दिनांक व समयः

प्रतापगढ़–रायबरेली मार्ग पर प्रधान ढ़ाबा के पास पुलिया, बहद ग्राम खरगपुर, थाना लीलापुर जनपद प्रतापगढ़, दिनांक 01–04–2024 समय 17:10 बजे।

एस0टी0एफ0 उ0प्र0 को विगत काफी दिनों से फरार/पुरस्कार घोषित अपराधियों के सक्रिय गिरोह का आपराधिक घटनाएँ कारित करने की सूचनाएँ प्राप्त हो रही थीं। इस सम्बन्ध में एस0टी0एफ0 की विभिन्न इकाईयों/टीमों को अभिसूचना संकलन एवं कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया था। उक्त निर्देश के क्रम में श्री शैलेश प्रताप सिंह, पुलिस उपाधीक्षक, एसटीएफ फील्ड इकाई, प्रयागराज के पर्यवेक्षण में अभिसूचना संकलन की कार्यवाही की जा रही थी।

निरीक्षक श्री अनिल कुमार सिंह के नेतृत्व में मुख्य आरक्षीगण साजित अली, उदय प्रताप सिंह, अजय कुमार यादव व आरक्षी किशन चन्द्र आरक्षी चालक अखण्ड प्रताप पाण्डेय की टीम दिनांक 01–04–2024 को जनपद प्रतापगढ़ में आपराधिक अभिसूचना संकलन के उद्देश्य से भ्रमणशील थी। इस दौरान मुखबिर से ज्ञात हुआ कि थाना लीलापुर जनपद प्रतापगढ़ पर पंजीकृत मु0अ0सं0 91/2023 धारा–147/148/149/307/323/504/506/302 भादवि में वांछित 25 हजार रूपये के पुरस्कार घोषित अपराधी फिरोज पुत्र मो0 रफीक उपरोक्त को प्रतापगढ़ रायबरेली मार्ग पर प्रधान ढाबा के पास पुलिया बहदग्राम खरगपुर थाना लीलापुर जनपद प्रतापगढ़ के पास हैं, जो कहीं बाहर भागने की फिराक में खड़ा है। प्राप्त सूचना पर विश्वास कर एसटीएफ टीम द्वारा उक्त स्थान पर पहुँचकर अभियुक्त उपरोक्त को गिरफ्तार कर लिया गया, जिसके पास से उपरोक्त बरामदगी हुई।

पूछताछ पर गिरफ्तार अभियुक्त फिरोज उपरोक्त द्वारा बताया गया कि मार्च 2023 को गांव के ही रहने वाले मो0 जिब्राइल पुत्र स्व0 अब्दुल रज्जाक व इसराइल आदि लोगों से रास्ते को लेकर विवाद हुआ था जिस कारण हम लोग उन्हें गाली गलौज करते हुए लाठी डण्डो से मारा पीटा था। इसराइल को गंभीर चोट आने के कारण उसकी मृत्यु हो गयी थी। उक्त घटना के बाद इसराइल के भाई जिब्राइल द्वारा थाना लीलापुर जनपद प्रतापगढ़ में हम लोगों के विरूद्ध हत्या का मुकदमा पंजीकृत कराया गया था। गॉव के लोगो से दुश्मनी होने के कारण अपनी सुरक्षा के लिए तमंचा व कारतूस रखता है।

गिरफ्तार अभियुक्त फिरोज उपरोक्त के विरूद्ध थाना लीलापुर में मु0अ0सं0 121/2024 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट का अभियोग पंजीकृत कराया गया है एवं मु0अ0सं0 91/2023 धारा–147, 148, 149, 307, 323, 504, 506, 302 भादवि में अग्रिम विधिक कार्यवाही स्थानीय पुलिस द्वारा की जाएगी।